FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0033 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/02/2026 12:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 03/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:08 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/02/2026 12:37:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALAY ADHIKSHAN ABHIYANTA, A.V.V.N.L. BEAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DINESH GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NARAYAN LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HANUTIYA, BIJAYNAGAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HANUTIYA, BIJAYNAGAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AKESH JAIN		पिता:MANAKCHANAD JAIN	1. WARD NO.16 GHASI MALI KA KHET,AGARA FATAK KE PASS,BANDIKUI,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक, ए.सी.बी., इन्टेलिजेंस, अजमेर। विषयः-ट्रेप कार्यवाही करवाने बाबत्। महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं खेतीबाडी का काम करता हूं तथा मेरे दो जे.सी.बी. मशीन रेन्ट पर चलती हैं। मैने मेरे गांव हनुतिया तहसील विजयनगर में पेतृक जमीन खसरा नं. 2345 पुराने, 3832/3761, 3834/3762 नये, 3841/3834, 3839/3832 (संपरिवर्तन बाद) रकबा 1225 वर्गमीटर भूमि पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापॉरेशन, लिमिटेड को आवेदन करने पर उदयुपर ऑफिस से संबन्धित विभागो के अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर मैने कार्यालय कलक्टर ब्यावर से सम्पर्क किया तो उन्होने 8 विभागो के अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे, जिस पर में एवीवीएनएल, ब्यावर के एसई से दिनांक 15.01.2026 को मिला तो उन्होने कहा कि आकाश जी बाबुजी से मिल लो, जिस पर मैं आकाश बाबुजी से मिला तो उन्होने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में अपने व एसई साहब के लिए 40000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। कल दिनांक 19.01.2026 को बाबुजी आकाश जी का मेरे पास कॉल आया तथा मुझे ब्यावर बुलाया है। मै इन्हे रिश्वत नही देना चाहता हूं, बल्कि रंगे हाथा पकड़वाना चाहता हूं । एसडी, प्रार्थी, दिनेश गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल हनुतिया, जिला ब्यावर मो.नं. कार्यावाही पुलिस, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे0 अजमेर दिनांक 20.01.2026 समयः-03.00 पीएम परिवादी श्री दिनेश गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल निवासी गांव हनुतिया तहसील विजयनगर ने उपस्थित कार्यालय हाजा होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी से दरियाफ्त की तो बताया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयम् द्वारा हस्तलिखित होना बताया। प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने बताया कि मैं मेरी पैतृक जमीन रकबा 1225 वर्गमीटर पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लिमिटेड का रिटेल आउटलेट हेतु प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापॉरेशन, लिमिटेड को आवेदन करने पर उदयुपर ऑफिस से संबन्धित विभागो के अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर मैने कार्यालय कलक्टर ब्यावर से सम्पर्क किया तो उन्होने 8 विभागो के अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे, जिस पर में एवीवीएनएल, ब्यावर के एसई से दिनांक 15.01.2026 को मिला तो उन्होने कहा कि आकाश जी बाबुजी से मिल लो, जिस पर मैं आकाश बाबुजी से मिला तो उन्होने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में अपने व एसई साहब के लिए 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मैं इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं मेरी इनसे कोई रंजीश नही है ना ही कोई उधार लेन-देन हैं।“ परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाया व श्री भरत सिंह कानि. से कार्यालय अलमारी मे से वॉयस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस की गई। परिवादी ने बताया कि एस.ई. साहब 5-7 दिन बाहर है। एस.ई. साहब के आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। परिवादी श्री दिनेश गुर्जर को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया। दिनांक 02.02.2026 को परिवादी का फोन आया कि परिवादी ने जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक को बताया कि शनिवार को मैने पेट्रेप पम्प के प्रस्तावित स्थल पर लोहे का बोर्ड लगाने के बाद वाट्स-एप पर बोर्ड की फोटो आकाशजी को भेजने के बाद आकाशजी ने मुझे वाट्स-एप पर रिप्लाई किया कि ”ओके आप मण्डे को आ जाना।” इस पर वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री भरत सिंह कानि. को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ब्यावर रवाना किया गया। समय 03.20 पी.एम. पर श्री भरत सिंह कानि0 ने जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर रोड़वेज बस स्टेण्ड ब्यावर पहुंचा। परिवादी समय 02.30 पीएम पर मेरे पास उपस्थित आया। हम दोनो बस स्टेण्ड से रवाना होकर अजमेर रोड़ स्थित एवीवीएनएल, ब्यावर के कैम्पस के अन्दर पहुंचे। मैने परिवादी को वॉयस रिकार्डर ऑपरेट करना समझाया तथा वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर समय 02.55 पीएम की परिवादी श्री दिनेश गुर्जर को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु एस.ई. एवीवीएनएल, ब्यावर कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मैं कार्यालय के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौजुद रहा। समय 03.06 पीएम पर परिवादी मेरे पास उपस्थित आया तथा बताया कि मैं एसई कार्यालय में बाबू श्री आकाश से मिला तो उसने पूर्व में हुई वार्ता अनुसार ही आज भी मेरे 40000 रूपये की मांग की। मैने कम करने के लिए रिक्वेस्ट की तो बाबूजी ने मेरे को कहा कि 40 हजार ही लगेंगे, चाहो तो आप साहब (एस.ई. साहब) से मिल लो। मै एस.ई. साहब से मिलने का प्रयास किया तो वो कार्यालय में मौजूद नही थे।” श्री भरत सिंह कानि0 ने परिवादी से वार्ता करवायी तो परिवादी ने भी कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की तथा परिवादी को रिश्वत राशि 40000 रूपये

लेकर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने अवगत कराया। श्री भरत सिंह कानि0 ने उपस्थित कार्यालय हाजा होकर वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। इस पर मैंने रिकार्डर चलाकर सुना तो परिवादी श्री दिनेश गुर्जर से एस.ओ. श्री आकाश बाबू द्वारा 40000 रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। वॉयस रिकार्डर को मय मेमोरी कार्ड कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 03.02.2026 समय 09.40 एएम पर स्वतन्त्र गवाह श्री अनिल कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री केवल सिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुन्द्रांक विभाग वृत, अजमेर एवं परिवादी श्री दिनेश गुर्जर उपस्थित आया। उक्त दोनो गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर परिवादी से आपस में परिचय करवाते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.02.2026 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता के मुख्य अंश सुनाये। परिवादी श्री दिनेश गुर्जर एवं आरोपी श्री आकाश बाबु के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर सुनकर श्री मनफूल कानि0 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड को वॉयस रिकार्डर में से निकालकर उसको एक कपड़े की थेली में रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क ''एम'' अंकित किया तथा एक पेन ड्राईव को कपड़े की थेली मे रखकर कपड़े की थेली को सील्ड मोहर कर मार्क ''पी-1'' अंकित कर फर्द एवं कपड़े की थेलीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को कागज के लिफाफे में खुला रखा गया। समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दिनेश गुर्जर ने भारतीय चलन मुद्रा अपने पास से 500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40000 रूपये प्रस्तुत किये, जिनके नम्बर फर्द में अंकित करवाकर श्री दामोदर कानि0 435 को बुलाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री दामोदर कानि0 435 से कार्यालय अलमारी में से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री दिनेश गुर्जर के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया जाने पर उक्त पाउडर लगी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री दामोदर कानि0 435 से रखवायी गयी। परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया। परिवादी को अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया तथा ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी उक्त ईशारा समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री अनिल कुमार, श्री केवल सिंह एवं एसीबी स्टॉफ श्री युवराज सिंह सउनि, श्री मनफूल कानि0 मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन मय चालक कानि0 श्री जगदीश के एवं परिवादी श्री दिनेश गुर्जर व श्री भरत सिंह कानि0 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड परिवादी की कार से रवाना होकर एवीवीएनएल कैम्पस ब्यावर के सामने पहुंचे परिवादी श्री दिनेश गुर्जर को वॉयस रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईस की तो परिवादी ने बताया कि एसई ऑफिस मुख्य सड़क से करीब 400-500 मीटर अन्दर है तथा एकान्त में है तथा मैनगेट पर गार्ड भी बैठा रहता है तो वो मेरे को आपके साथ देख सकता है इसलिए मैं अकेला जाता हुं तथा एस.ओ. कार्यालय में उपस्थित होगा तो मै रिकार्डर ऑन कर लूंगा। परिवादी को रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान रवाना होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए एस.ई. ऑफिस एकान्त में होने से एस.ई. ऑफिस के कुछ दूरी पर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रही। समय 02.08 पीएम पर परिवादी श्री दिनेश गुर्जर ने मन् निरीक्षक पुलिस को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता के बाहर आकर जरिये दूरभाष रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री भरत सिंह कानि0, श्री मनफूल कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं श्री युवराज सिंह सउनि को हमराह लेकर गेट पर खडे परिवादी श्री दिनेश गुर्जर के पास पहुंची तो परिवादी ने बताया कि अभी मैं श्री आकाश बाबू से मिला तथा रिश्वत राशि 40000 रूपये आकाश जी बाबू जी को दिये, जिन्होने रिश्वत राशि अपने हाथ मे रख ली तथा उसके बाद आकाश अपने कमरे मे से उठकर एस.ई. कक्ष के पीछे स्थित कक्ष में गया तथा उस कक्ष में सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था तथा उसके पास में बैठे व्यक्ति अशोक जी नाम के व्यक्ति को रूपये देकर कहा कि मैं सैकेण्डहैण्ड गाड़ी खरीद रहा हुं, इसके पैसे गिन दो। उसके बाद अशोक जी ने पैसे गिने और चालिस हजार रूपये होना बताकर राशि पुनः आकाश को दे दी। उसके बाद आकाश बाबू कक्ष से बाहर आया तथा मुझे मेरा अनापति प्रमाण पत्र एवं पत्रावली मुझे सुपुर्द की, उसके बाद मैंने परिसर के बाहर आकर आपको ईशारा किया। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर रिकार्डर को चलाकर देखा तो रिकार्डर स्वीच ऑफ होना पाया गया तथा उसमे कोई रिकार्डिंग नही होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि मैं जल्दबाजी में रिकार्डर ऑन करना भुल गया। इस पर परिवादी को हमराह लेकर परिवादी के बताये अनुसार एसई कार्यालय के अन्दर आकाश जैन के कक्ष मे गये तो आकाश जैन वहां पर उपस्थित नही मिला। इस पर कैम्पस में आकाश जैन की तलाशी की नही मिलने पर उसके बारे मे पूछा तो श्री मंगल सिंह भूतपूर्व सैनिक-क्लर्क (संविदाकर्मी) ने बताया कि आकाश जैन ने अभी मेरे को कहा कि चाय पीकर आ रहा हूं आपकी स्कूटी की चाबी दो

और मेरे से मेरी स्कूटी एक्टीवा नं. आर.जे.-36-एसवाई-9260 लेकर पास वाले कमरे में स्थित दूसरे गेट से पीछे से बाहर की तरफ चला गया। इस पर एस.ई. श्री महेश कुमार सिंघल को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर श्री आकाश जैन सूचना सहायक को तलब करने हेतु अवगत कराया तो श्री महेश कुमार अधीक्षण अभियन्ता ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री आकाश जैन के मोबाईल नम्बर पर फोन किया तो आकाश ने कहा कि खाना खाने आया हूं अभी आ ही रहा हूं । श्री आकाश जैन की तलाशी के प्रयास किये गये तथा श्री आकाश जैन के निवास के बारे में जानकारी की गई तो अजमेर मे निवास करना बताया तथा अजमेर से अप-डाउन करना बताया। कुछ समय पश्चात् एस.ई. साहब से आकाश जैन को पुनः फोन करवाया तो आकाश ने बताया कि मेरी तबियत खराब हो गई और फोन काट दिया। तत्पश्चात् श्री आकाश जैन की लोकेशन प्राप्त की गई तो लोकेशन खरवा के पास आई। आकाश जैन का अजमेर का पता प्राप्त किया तथा उच्चाधिकारियो को हालात अर्ज किये तथा श्री आकाश जैन के निवास 3/183, बी ब्लॉक पंचशील नगर, अजमेर के आस-पास श्री नरेन्द्र सिंह पु.नि., ए.सी.बी., अजमेर को उपस्थित रहकर श्री आकाश जैन के उपस्थित आने पर डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादी ने एसई कार्यालय में गैलरी मे सामने स्थित कक्ष में बैठे योगेश कपूर की और ईशारा कर बताया कि इनके कक्ष में बैठकर ही आकाश जैन ने रिश्वत राशि श्री अशोक कुमार जी से गिनवाये थे। इस पर कक्ष में बैठे श्री योगेश कपूर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, एवीवीएनएल, ब्यावर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर परिचय प्राप्त किया तथा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के संबंध में पूछा तो श्री योगेश कपूर ने बताया कि हां अभी कुछ समय पहले आकाश जैन मेरे कमरे मे आया था तथा पास मे खडे परिवादी की और इशारा कर बताया कि यह भी आकाश जैन के साथ आये थे, ये बाहर खडे थे। आकाश जैन मेरे कमरे मे पूर्व से बैठे अशोक कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी को कुछ पैसे गिनने के लिए कहा था तथा कहा था कि सैकण्डहैण्ड गाडी ले रहा हूं इसके लिए पैसे देने है। जिस पर अशोक जी ने गिनकर 40000 रूपये होना बताया और पैसे आकाश जैन को दे दिये। उसके बाद आकाश जैन रूपये लेकर मेरे कक्ष से बाहर चला गया। इस पर श्री अशोक कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी को तलब कर मन् निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर परिचय प्राप्त किया तथा परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो के संबंध में पूछा तो श्री अशोक कुमार ने बताया कि मैं परिवादी दिनेश गुर्जर को नही जानता हूं लेकिन मैं व योगेश कपूर, योगेश कपूर के कक्ष में बैठे थे उसी दौरान आकाश जैन कक्ष मे आया तथा श्री दिनेश गुर्जर की तरफ ईशारा कर बताया कि ये बाहर खडा था। आकाश जैन ने मुझे कहा कि मैं पुरानी गाड़ी खरीद रहा हूं इसलिए ये पैसे गिन दो तथा मैने 500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40000 रूपये होना बताया। उसके बाद आकाश जैन हमारे कक्ष से बाहर चला गया। श्री महेश कुमार सिंघल अधीक्षण अभियन्ता को श्री आकाश जैन द्वारा परिवादी श्री दिनेश गुर्जर के पेट्रोल पम्प के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में श्री रिश्वत राशि 40000 रूपये आपके लिए मांगने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैने आकाश को कभी भी मेरे नाम से रिश्वत लेने के लिए नही कहा था। मैने कल शाम को ही परिवादी के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर आकाश जैन को दिये थे। मैने परिवादी दिनेश से रिश्वत राशि की मांग नही की हैं। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री अशोक कुमार पंवार कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिनसे आरोपी श्री आकाश जैन द्वारा रिश्वत राशि गिनवायी थी के अलग-अलग गिलास के घोल में दाहिने एवं बांये हाथ को डूबोकर धुलवाया गया तो दोहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया तथा बांये हाथ के घोल का रंग मटमेला हो गया, जिसको उपस्थित परिवादी एवं गवाहान को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी एवं मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त दाहिने हाथ के घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2 एवं बांये हाथ के घोल को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट किया जाकर मार्क एल.एच.-1 एवं एल.एच.-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी के कार्य से संबन्धित पत्रावली परिवादी से प्राप्त की जाकर उसकी फोटो प्रति करवाकर उसके प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा मूल पत्रवाली परिवादी को उसका कार्य सम्पादित करवाने हेतु सुपुर्द की गई। परिवादी से संबन्धित कार्य का पत्र डिस्पेच करने से संबन्धित डिस्पेच रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आयी रमजान की पेट्रोल पम्प से संबन्धित डिस्पेच रजिस्टर एवं पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियो को अर्ज किये गये हालात के अनुसार आरोपी श्री आकाश जैन के अजमेर पंचशील स्थित म.नं. बी- 3/183, पंचीशल नगर, अजमेर एवं अन्य संभावित स्थानो पर निगरानी हेतु जाब्ता तैनात किया गया था से सम्पर्क किया गया तो एस.ओ. के उपस्थित नही होना ज्ञात हुआ। श्री योगेश कपूर एवं श्री अशोक कुमार की रिश्वत लेन-देन में कोई संलिप्तता नही पाये जाने पर दोनो को फारिक किया गया। समय 09.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिंटर इत्यादि मय वाहन सरकारी मय चालक कानि0 श्री जगदीश के रवाना कार्यालय हाजा पहुंची । जब्तशुदा आर्टिकल कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखवाये। आमदा गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। श्री मनफूल कानि0 एवं मन् निरीक्षक पुलिस का धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र को शामिल

पत्रावली किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी दिनेश गुर्जर आरोपी श्री आकाश जैन को कम करने की कहता है तो आकाश जैन चालिस हजार रूपये की मांग करता है तथा कहता है कि उन्होने (एस.ई.) ने 40000 के लिए ही बोला हैं। परिवादी द्वारा 20 हजार रूपये देने हेतु कहता है तथा आकाश जैन के अलग से करने हेतु कहता है तो आरोपी आकाश जैन कहता है कि मै टोटल ही 40 कह रहा हूं मेरा अलग वलग छोडों। वार्ता के दौरान आरोपी आकश जैन परिवादी को कहता है कि ''यह मै आप को सिर्फ दिखा रहा था आपको यह पता चल जाए की मैने उसका (रमजान) काम किती देर में हुआ इसी बात की वजह से पहले हॉ करी फिर वो ना करी उसका काम इसी बात की वजह से सिर्फ और सिर्फ यह कब निकले है 29.01.2026 को उसका लेटर कब आया मेरे पास 27.03.2025 को एक साल बाद नेट सिर्फ इसी वजह से की बात खराब हो गई थी 27.01.2025 का क्लेक्टरेड का लेटर आया हुआ। इस प्रकार रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए आकाश जैन परिवादी को उक्त तथ्य बताता हैं। इस पर परिवादी कहता है कल लेआउ तो आरोपी आकश जैन कहता है कि मै मना नही कर रहा आप कल लियाउो परसो ले आओ आपका जब मर्जी करे तब आ जाना आप ऐसे परेशान मत होओ। इस परिवादी कहता है कि आप थोडी कोशिश करो तो आरोपी आकाश जैन कहता है कि 49 का 40 कर रखे बस यही कोशिश है ठीक है ना सर। उक्त ट्रेप कार्यवाही मे श्री अशोक कुमार के हाथ धुलाई एवं पूछताछ की विडियो रिकार्डिंग कार्यालय के सरकारी फोन में लगे मैमोरी कार्ड में श्री मनफूल कानि0 से करवाई गई। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि आरोपी श्री आकाश जैन, सूचना सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ओ एण्ड एम) एवीवीएनएल, ब्यावर द्वारा परिवादी श्री दिनेश गुर्जर से पेट्रोल पम्प लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में दिनांक 02.02.2026 को 40000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय कर मांग के अनुसरण में दिनांक 03. 02.2026 को रिश्वत राशि 40000 रूपये परिवादी से अपने हाथो से प्राप्त कर योगेश कपूर के कक्ष में जाकर एवीवीएनएल में पदस्थापित श्री अशोक कुमार से योगेश कपूर एवं परिवादी की उपस्थिति मे गिनवायी गई। श्री आकाश जैन द्वारा राशि गिनवाया जाना श्री अशोक कुमार एवं श्री योगेश कपूर द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही स्वीकार किया गया है तथा श्री अशोक कुमार के दाहिने हाथ का धोवण हल्का गुलाबी होना पाया गया हैं। श्री आकाश जैन को शंका हो जाने से आरोपी आकाश जैन मौके से रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया तथा अपने उच्चाधिकारियो द्वारा तलब करने के बावजूद उपस्थित नही आकर फोन स्वीच ऑफ कर रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया। इस प्रकार आरोपी श्री आकाश जैन, सूचना सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ओ एण्ड एम) एवीवीएनएल, ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 238 का घटित करना पाया जाता है। आरोपी श्री आकाश जैन सूचना सहायक वर्तमान में क्षेत्रपाल अस्पताल की आई.सी.यू. वार्ड में एडमिट है, जिसके डिस्चार्ज होने पर आरोपी से अनुसंधान किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। (कंचन भाटी) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 238 बीएनएस 2023 में आरोपी श्री आकाश जैन पुत्र श्री माणकचंद जैन उम्र 38 साल निवासी वार्ड नं. 16, घासी माली का खेत, आगरा फाटक के पास, बांदीकुई, जिला दौसा हाल बी-3/183, पंचशील नगर, अजमेर हाल पदस्थापन, सूचना सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, एवीवीएनएल, ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबर मल यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 74 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 185-88 दिनांक 06.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- सचिव(प्रशासन), अजमेर विद्वुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,इन्टै0, अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/02/2026 12:42:16

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)